न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी –पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–18/2020

रामकिशोर पुत्र श्री भजनलाल उम्र 50 वर्ष जाति विश्नोई निवासी चक 3 केएएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर हाल गॉव मेहराना तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

––––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

–––––अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

::निर्णय:: दिनांक–19.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से चक 3 केएएम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–244/479 मुरब्बा नं.–9 में किला नं.–21ता24 में कुल 4 बीधा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का नाम किशोरचन्द अंकित है जबकि वादी का वास्ताविक नाम रामकिशोर है जो एक लिपिकीय भूल है। वादी ने आज कृषि ऋण लेने के लिए जमाबंदी प्राप्त की तो वादी को पता चला कि उसके नाम की कृषि भूमि की जमाबंदी में वादी का नाम किशोरचन्द दर्ज है जबकि वादी का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम रामकिशोर दर्ज है। वादी के बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेजों में भी वादी का नाम रामकिशोर दर्ज है। वादी के नाम की उक्त कृषि भूमि में वादी का नाम किशोरचन्द दर्ज होने वे वादी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वादी ने तहसील दार हल्का से मिल कर अपना नाम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो तहसीलदार हल्का ने सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का कहा। इसलिए वादी श्रीमान् जी के समक्ष उपस्थित होकर वाद पेश कर रहा है तथा यही वाद कारण है।

पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि 3 केएएम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–244/479 मुरब्बा नं.–9 में किला नं.–21ता24 में कुल 4 बीधा कृषि भूमि में किशोरचन्द नाम दर्ज रिकॉर्ड है।(जमाबंदी प्रति संलग्न है) किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र, राजकीय कर्मचारी श्री गौरी शंकर मांझु कृषि पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि 3 केएएम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–244/479 मुरब्बा नं.–9 में किला नं.–21ता24 में कुल 4 बीधा कृषि भूमि में प्रार्थी [illegible] किशोरचन्द के स्थान पर रामकिशोर का अंकन किया जावें। अप्रार्थी [illegible] आदेश को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner